न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

नि0 -543- II-16

प्रकाश तनय राजधर यादव ,

निबासी ग्राम अंनतपुरा , तह0 एवं0 जिला टीकमगढ़ म0प्र0

...............आवेदक

वनाम

1— म0 प्र0 शासन

2— चैनू तनय भग्गू चमार ,

निबासी ग्राम अनुतपुरा , तह0 एवं0 जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1— यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 05/स्व0पुन0/2004–05 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 11/07/2006 से परिवेदित होकर कर रहा हैं।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 02 को ग्राम तखा , तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 271 रकवा 1.412 हैक्अर भूमि का ब्यवस्थापन तहसीलदार टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत प्रकरण क्रमांक 485/बी121/84–85 में पारित आदेश दिनांक 16/09/1985 के द्वारा किया गया था। जिसके अनुसार आवेदक एवं अनावेदक का नाम खसरा नंबर 271/1जु0 रकवा 1.412 हैक्टर पर दर्ज हो गया था। जो अनवरत दर्ज चला आ रहा था कि तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 298/बी121/2003–04 के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 04/11/2004 को कलेक्अर महोदय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि चैनू अहिरवार को 1.012 हैक्टर भूमि का ब्यवस्थापन किया गया था, किन्तु राजस्व अभिलेख में रकवा वढ़ाकर 1.412 है0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 543–दो/16 **जिला** –टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश प्रकाश विरूद्ध शासन	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
16.02.16	मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता ने यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्र0क0 05/स्व0पुन/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 11.7.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। उनके द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत सूची अनुसार जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उनमें वादग्रस्त भूमि के बर्ष 1977–78 से लगातार 2006–07 तक के खसरा पांच की प्रमाणित प्रतियां हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य आदेश का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत खसरों का अवलोकन किया। धारा–5 के बिन्दू पर प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर बिलंब माफ किया गया। निगरानी समय सीमा में मान्य की गई। चूंकि प्रकरण में आवेदक द्वारा खसरा की सभी प्रमपाणित प्रतियां तथा आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा रहा है। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक–2 चैनू को ग्राम	

तखा, तहसील टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 271 रकवा 1.412 हैक्टेयर का तहसीलदार टीकमगढ द्वारा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत प्रकरण ाकमांक 485/बी-121/84-85 में पारित आदेश दिनांक 16.9.1985 के द्वारा पट्टा दिया गया था। जिसके आधार पर आवेदक एवं अनावेदक कमांक-2 चैनू का नाम खसरा नंबर 271/1 जु0 ारकवा 1.412 है0 पर दर्ज हो गया था। जो लगातार 2003 तक दर्ज रहा । तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 298/बी-121/2003-04 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 4.11.2004 के आधार पर कलेक्टर ने उपरोक्त स्वमेव पुनरीक्षण दर्ज करके आदेश दिनांक 11.7.2006 के द्वारा आवेदक के नाम के 0.400 हैक्टेयर रकवे को शासकीय दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया ।

3- मैंने प्रस्तुत तर्को के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन करने पर पाया कि कलेक्टर द्वारा आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है, उसको सूचनापत्र भी जारी नहीं किया गया मात्र चैनू को सूचनापत्र जारी किया गया है। जबकि आवेदक का नाम वादग्रस्त भूमि पर 1984 से लगातार भूमिस्वामी के रूप में 2006 तक दर्ज चला आ रहा है। प्रस्तुत खसरों के अनुसार आदेश दिनांक 11.7.2006 को आवेदक का ग्राम तखा स्थित

भूमि खसरा नंबर 171/1/1 जु0 रकवा 0.405 है0 पर चैनू 1/10 हिस्सा यानि 0.005 है0 तथा प्रकाश तनय राजधर 9/10 हिस्सा यानि 0.400 है0 पर दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक उपरोक्त प्रकरण में हितवद्ध पक्षकार था फिर भी उसे सूचनापत्र जारी नहीं किया गया। साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। आदेश पारित करते समय इस बात को नजर अंदाज किया गया है कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि आवेदक एवं अनावेदक कमांक-2 को संयुक्त रूप से पटट्ा पर प्रदान की गई थी। जिसमें आवेदक का 1/3 हिस्सा था तथा अनावेदक का 2/3 हिस्सा था जिसके आधार पर ही खसरा पंचसाला बर्ष 1984-85 में नाम भी दर्ज हो गया था । जो अनवरत 1991-92 तक दर्ज रहा। तदुपरांत तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 9/बी-121/1990-91 में पारित आदेश दिनांक 6.9.1991 के द्वारा उपरोक्त भूमि के बटा नंबर कायम कर दिये । जिसमें आवेदक एवं अनावेदक का नंबर 271/1/1 रकवा 1.412 है0 हो गया है, जो आवेदक का नाम खसरा कमांक 271/1/1 रकवा 1.412 है0 पर दर्ज हो गया । जिसमें से बर्ष 1993 से 1996 के बीच कुछ प्रविष्टियों में परिवर्तन किया गया है। जिनके नामांतरण के उपरांत बर्ष 1997-98 में खसरा नम्बर 271/1/1 जु0 रकवा 0.405 हैक्टर

पर 1/10 हिस्सा पर अनावेदक क-2 चैनू का नाम तथा 9/10 हिस्सा पर आवेदक का नाम दर्ज था जो अनवरत 2006-07 तक दर्ज रहा कि कलेक्टर द्वारा आलोच्य आदेश पारित कर के आवेदक के नाम की भूमि को शासकीय दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2011 रानी 273/डी0बी0 कमलसिंह बनाम अलका सिंह अन्य बहुत से न्याय दृष्टांतों में व्यवस्था प्रदान की है । किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व हितवद्ध का सुनवाई का अवसर देना चाहिये । धारा-50 की स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियां अनेक बर्ष व्यतीत होने के उपरांत प्रयुक्त नहीं की जा सकती है । कुछ मास के भीतर प्रयुक्त की जा सकती है । प्रस्तुत प्रकरण में कलेक्टर द्वारा 22 साल बाद स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेकर आलोच्य आदेश पारित किया है ।

4- आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपनी निगरानी के साथ 2010 रानी 409,रणवीरसिंह बनाम म0प्र0 शासन एवं अन्य आदेश में दर्शित न्याय दृष्टांतों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है। जिसमें भी माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की पूर्ण पीठ द्वारा व्यवस्था प्रदान की है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग-180 दिवस परिसीमा की ऊपरी समय सीमा होगी।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्रकरण कमांक 5/स्वमेव

पुन/04-05 में पारित आदेश दिनांक 11.7.06 निरस्त किया जाता है। तथा निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नाम पूर्ववत भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया जावें । पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य